

न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी-मधुसूदन जंघेल)व्यवहार वाद कं.59अ/2016
संस्थित दिनांक:-26.08.2016
RCSA-3003462016श्रीमती सोनीबाई आयु 68 वर्ष पति झाड़ूलाल, जाति मरार,
निवासी ग्राम भादा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट म0प्र0वादी!! विरुद्ध !!

- 1.सुन्दरलाल आयु लगभग 46 वर्ष पिता स्व0 सोहनलाल, जाति मरार,
- 2.इन्दरलाल आयु लगभग 44 वर्ष पिता स्व0 सोहनलाल, जाति मरार,
- 3.संजुलाल आयु लगभग 42 वर्ष पिता स्व0 सोहनलाल, जाति मरार,
- 4.अंजुलाल आयु लगभग 40 वर्ष पिता स्व0 सोहनलाल, जाति मरार,
- कमांक 01 से 04 तक निवासी ग्राम सहेजना तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट
- 5.श्रीमती सुशीलाबाई आयु लगभग 38 वर्ष पति दिनेश चौधरी पिता स्व0 सोहनलाल, जाति मरार, निवासी ग्राम कनई तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट।
- 6.श्रीमती सरस्वतीबाई आयु लगभग 35 वर्ष पति द्वारकाप्रसाद कावरे पिता स्व0 सोहनलाल जाति मरार निवासी ग्राम जत्ता तहसील बैहर जिला बालाघाट म0प्र0
- 7.श्रीमती रामेश्वरी आयु लगभग 32 वर्ष पति संतुलाल, जाति मरार, निवासी ग्राम पोण्डी बैगाटोला तहसील बैहर जिला बालाघाट म.प्र.
- 8.श्रीमती भागरतीबाई उर्फ गुल्लोबाई आयु लगभग 70 वर्ष पति फगनु जाति मरार निवासी टिंगीपुर तहसील बिरसा जिला बालाघाट म.प्र.(मृत)
- 8अ.सावनलाल मानेश्वर उम्र-50 वर्ष पिता फगनु जाति मरार, निवासी ग्राम टिंगीपुर तहसील बिरसा जिला बालाघाट म.प्र.
- 9.लालचंद आयु लगभग 67 वर्ष पिता स्व0 जंगलु जाति मरार, निवासी ग्राम सहेजना तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट म.प्र.
- 10.राधेलाल आयु लगभग 43 वर्ष पिता लालचंद जाति मरार निवासी ग्राम सहेजना तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट म.प्र.
- 11.मध्यप्रदेश शासन तर्फे कलेक्टर महोदय जिला बालाघाट

.....प्रतिवादीगण

!! निर्णय !!

(आज दिनांक 29/06/2018 को घोषित)

01. वादी ने यह दावा मौजा सहेजना, प.ह.नं.11 के खसरा नंबर 7, 8, 17/6, 17/7 कुल रकबा 25.94/10.497 हेक्टेयर भूमि में से 3.499 हेक्टेयर भूमि का स्वामी घोषित कर आधिपत्य दिलाये जाने, सोहनलाल व प्रतिवादी

राधेलाल पिता लालचंद एवं सोमबती के मध्य निष्पादित विभाजन पत्रक दिनांक 17.12.1980 एवं सोहनलाल व प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 के पक्ष में मंगलू द्वारा निष्पादित किया गया विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1975 को शून्य घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण से 1,50,800/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से अंतः कालीन लाभ दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. प्रकरण में अविवादित तथ्य यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 06 आपस में सगे भाई-बहन हैं। प्रतिवादी क्रमांक 07 उनकी बहन पार्वती की पुत्री हैं। मूल पुरुष चमरू था, जिसकी तीन संतान मंगलू, जंगलू एवं कंगलू थे। मंगलू के पुत्र सोहनलाल की मृत्यु हो चुकी है तथा सोहन की बड़ी पुत्री पार्वती की भी मृत्यु हो चुकी है। उसकी मात्र एक पुत्री रामेश्वरी है। मंगलू की एक पुत्री गुल्लोबाई है।

03. वादी का दावा संक्षेप में इस आशय का है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के सिजरा खानदान में मूल पुरुष चमरू थे। चमरू की तीन संतान मंगलू, जंगलू एवं कंगलू थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मंगलू का पुत्र सोहनलाल एवं पुत्री गुल्लोबाई हैं। सोहनलाल की संतान सुन्दरलाल, इंदरलाल, संजुलाल, अंजुलाल, सुशीलाबाई, सरस्वती, पार्वतीबाई हैं, जिसमें से पार्वतीबाई की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी पुत्री रामेश्वरी है। जंगलू का पुत्र लालचंद एवं उसका पुत्र राधेलाल हैं। कंगलू की दो पुत्रियाँ सोनीबाई एवं मोनीबाई उर्फ सुमन हैं, जिसमें मोनीबाई की निःसंतान मृत्यु हो चुकी है और एक मात्र पुत्री सोनीबाई वादी है। मंगलू एवं जंगलू के वारसान प्रतिवादीगण हैं। ग्राम सहेजना तहसील परसवाड़ा में मूल पुरुष चमरू की भूमि खसरा नंबर 7 रकबा 4.856 हेक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 5.447 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/6 रकबा 0.081 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/7 रकबा 0.113 हेक्टेयर कुल रकबा 10.497 हेक्टेयर भूमि थी। चमरू की मृत्यु के पश्चात चमरू के वारसान जंगलू, कंगलू का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना था, किन्तु वे दोनों अपने बड़े भाई मंगलू पर अत्यधिक विश्वास करते थे तथा सामुहिक रूप से निवास करते थे। उन्होंने राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने के संबंध में कभी जांच-पड़ताल नहीं किया। वादी विवाह होने के

बाद अपने ससुराल चली गई, किन्तु उसे प्रतिवादीगण अनाज देते थे। पिछले चार-पांच माह से वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 एवं 9-10 के बीच संबंध खराब हो गये, तब वादी ने प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की मांग की और प्रतिवादीगण ने हिस्सा देने से मना कर दिया, जिसके पश्चात वादी ने विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख, अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55, बंदोबस्त मिशाल वर्ष 1908-09 प्राप्त की। राजस्व अभिलेखों से वादी को जानकारी हुई कि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04, 06 एवं 08 के पिता सोहनलाल और राधेलाल के बीच दिनांक 17.12.1980 को विभाजन पत्रक लिखा गया। खसरा नंबर 8 एवं 17/6 में से 1.75 एकड़ भूमि राधेलाल के नाम की गई है। चमरू की मृत्यु के बाद मंगलू जंगलू एवं कंगलू के मध्य बंटवारा किया गया था, जिसमें विवादित भूमि में से 24.94 एकड़ मंगलू के हिस्से में तथा खसरा नंबर 34 एवं 17/44 रकबा 19.70 एकड़ जंगलू के हिस्से में आई तथा कंगलू की पुत्री होने के कारण कोई हिस्सा नहीं दिया गया। प्रतिवादीगण ने छलपूर्वक विभाजन पत्रक दिनांक 17.12.1980 तैयार कर लिया है। जबकि विभाजन में वादी को भी सम्मिलित किया जाना था। वादी को संपत्ति से वंचित करने के लिए मंगलू ने विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1975 निष्पादित किया है। जबकि वादी का भी उक्त संपत्ति पर हक एवं हिस्सा था। फलतः वादी ने वादग्रस्त भूमि में से 3.499 हेक्टेयर भूमि का स्वामी घोषित किये जाने, आधिपत्य दिलाये जाने, विभाजन पत्रक दिनांक 17.12.1980 एवं विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1975 को शून्य घोषित किये जाने एवं मध्यवर्ती लाभ 1,50,800/- रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

04. प्रतिवादी क्रमांक 01 से 07 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करते हुये स्वीकृत तथ्यों के अलावा शेष अभिवचन से अस्वीकार करते हुये यह अभिवचन किया गया है कि मूल पुरुष चमरू के नाम से ग्राम सहेजना तहसील परसवाड़ा में खसरा नंबर 7, 8, 17/6, 17/7 रकबा 12.00 एकड़, 13.46, 0.20, 0.28 कुल रकबा 25.94 एकड़ एवं खसरा नंबर 34, 17/44 रकबा 19.00, 0.70 एकड़ कुल रकबा 19.70 एकड़ भूमि थी। मूल पुरुष चमरू की मृत्यु होने के पश्चात उसके

पुत्र मंगलू, जंगलू एवं कंगलू तीनों संयुक्त रूप से निवास करते थे। तीनों लोगों ने आपस में पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया, जिसमें से वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 7, 8, 17/6, 17/7 रकबा 12.00 एकड़, 13.46, 0.20, 0.28 कुल रकबा 25.94 एकड़ भूमि मंगलू के हिस्से में एवं खसरा नंबर 34, 17/44 रकबा 19.00, 0.70 एकड़ कुल रकबा 19.70 एकड़ भूमि जंगलू के हिस्से में प्राप्त हुई। सोनीबाई कंगलू की एक मात्र पुत्री थी तथा कंगलू ने अपनी सहमति से कहा कि वह अपने भाई मंगलू के साथ निवास करेगा और पुत्री का विवाह भी दोनों भाई मिलकर करेंगे। इस आधार पर कंगलू ने अपना हक त्याग कर दिया, इसलिये कंगलू को पैतृक संपत्ति में से कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ। मंगलू एवं कंगलू संयुक्त रूप से निवास करते थे। कंगलू एवं उसकी पत्नि की मृत्यु संस्कार क्रियाकर्म मंगलू ने ही किया था। वादी का विवाह भी मंगलू ने किया था। जंगलू की मृत्यु होने के पश्चात उसकी भूमि 19.70 एकड़ उसके पुत्र लालचंद के नाम दर्ज हुई। लालचंद ने उसे सहेजना के रग्घन तथा फत्तेसाव को विक्रय कर दिया। मंगलू ने दिनांक 31.07.1975 को रुपयों की आवश्यकता होने पर अपने पुत्र सोहनलाल तथा पोते सुन्दर, इंदर, संजु, अंजु को 2,000/- रुपये में अपने हिस्से की भूमि 25.94 एकड़ को विक्रय कर दिया। उसके तीन-चार वर्ष बाद लालचंद और उसकी पत्नि सोमबती ने मंगलू के पुत्रों से विवाद किया, तब सोहनलाल ने विवादित भूमि में से 1.67/0672 हेक्टेयर भूमि को लालचंद के पुत्र राधेलाल एवं सोमबतीबाई को दिया। मंगलू द्वारा विक्रय की गई भूमि पर सुन्दर, इंदर, संजु, अंजु का नाम दर्ज होकर वे लोग उसका बंटवारा कर खेती कर रहे हैं। वादी ने पिछले चालीस वर्ष में कभी भी हिस्से की मांग नहीं की। वादी का विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं है तथा दावा अवधि बाह्य है। फलतः दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

05. प्रतिवादी क्रमांक 08 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अभिवचन किया गया है कि वादी के दावे में पक्षकार के संयोजन का अभाव है। प्रतिवादी क्रमांक 08 अपने पिता मंगलू के नाम दर्ज भूमि की फौती कार्यवाही के बारे में अनभिज्ञ रही है। वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 08

के नाम को विलोपित कर दिया गया है। वादग्रस्त भूमि में सहदायगी होने से प्रतिवादी क्रमांक 08 का भी हित है। विवादित भूमि में वादी का कोई हिस्सा नहीं है। वादी की उम्र-68 वर्ष है। उसका विवाह हुए 40 वर्ष हो चुके हैं। इससे पहले वादी ने कभी हिस्से की मांग नहीं की। वादी का दावा अवधि बाह्य है तथा वादी का कोई अधिकार भी नहीं है। फलतः वादी का दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. प्रतिवादी क्रमांक 09 एवं 10 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 09 एवं 10 को पूर्व से यह जानकारी नहीं थी कि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 तथा उसके पिता सोहनलाल तथा राधेलाल, लालचंद के मध्य दिनांक 17.12.1980 को रजिस्टर्ड विभाजन पत्रक तैयार किया गया है। उक्त विभाजन पत्रक झूठा तैयार किया गया है, जिसे प्रतिवादी क्रमांक 09 एवं 10 स्वयं चुनौती देना चाहते हैं।

07. प्रतिवादी क्रमांक 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है एवं उसके द्वारा प्रकरण में जवाब दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

08. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर निम्न वादप्रश्न विरचित किये गये, जिसमें उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं साक्ष्य के विवेचना के उपरांत निकाले गये निष्कर्ष वादप्रश्न के समक्ष अंकित किये गये हैं:-

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादग्रस्त संपत्ति खसरा नंबर 07 रकबा 12.00/4.856 हेक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 13.46/5.447 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/6 रकबा 0.20/0.081 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/7 रकबा 0.28/0.113 हेक्टेयर कुल रकबा 25.94/10.497 हेक्टेयर भूमि मौजा सहेजना, प.ह.नं.11, रा.नि.मं. परसवाड़ा वादी के स्वामित्व की है ?	अंशतः प्रमाणित
02.	क्या वादी वादग्रस्त संपत्ति के 1/3 हिस्से (3.499) हेक्टेयर की अधिकारी है ?	प्रमाणित
03.	क्या विभाजन पत्रक दिनांक 17.12.1980 वादी के स्वत्वों के मुकाबले शून्य है ?	प्रमाणित

04.	क्या वादी प्रतिवादीगण से 1,50,800/— रुपये प्रतिवर्ष की दर से अंतः कालीन लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं ।
05.	क्या वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित नहीं
06.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका क्रमांक 36 के अनुसार वाद अंशतः प्रमाणित
07.	क्या वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में मंगलू द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1975 वादी के स्वत्व के मुकाबले शून्य है ?	प्रमाणित

—:: निष्कर्ष एवं कारण ::—

वादप्रश्न क्रमांक-01 एवं 02

09. सोनीबाई वा.सा.01 ने बताया है कि उसके पिता का नाम कंगलू है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके दादा चमरू थे, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। चमरू के तीन पुत्र मंगलू, जंगलू एवं कंगलू थे। तीनों की मृत्यु हो चुकी है। ग्राम सहेजना तहसील बैहर में खसरा नंबर 7, 8, 17/6, 17/7 कुल 10.497 हेक्टेयर भूमि चमरू के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी। जब-तक उसके पिता कंगलू जीवित थे, तब-तक शामिल-शरीक में जंगलू एवं मंगलू के साथ रहते थे। उसके दादा चमरू की मृत्यु के उपरांत मंगलू, जंगलू एवं कंगलू का नाम राजस्व रिकार्ड में आना था तथा कंगलू यही सोचता था, इसलिये राजस्व रिकार्ड नहीं देखा था। उसकी बड़ी बहन सुगन उर्फ मेनीबाई विवाह होकर अपने ससुराल चली गई, जिसकी निःसंतान मृत्यु हो गई तथा उसकी भी शादी होने से वह ससुराल चली गई। प्रतिवादीगण उसके हिस्से की फसल उसे देते थे। वाद प्रस्तुत करने के चार-पांच माह पूर्व प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 से उसने अपने पिता का हिस्सा मांगा, तब उन्होंने हिस्सा देने से इंकार कर दिया और उसे पता चला कि मंगलू ने जमीन प्रतिवादीगण के नाम अंतरण कर दिया है, जिसके पश्चात उसने राजस्व अभिलेख, वर्ष 1954-55 का अधिकार अभिलेख, खसरा, बंदोबस्त मिशाल प्राप्त किया। दिनांक 05.12.1985 को संशोधन पंजी के अवलोकन करने से पता चला कि उसके पिता कंगलू या उसका नाम राजस्व

अभिलेख में दर्ज ही नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण ने उसके पिता के हक से उसे वंचित कर दिया। जबकि चमरू की मृत्यु के बाद उसके पिता कंगलू को भूमि प्राप्त होती तथा कंगलू की मृत्यु पश्चात उसे भूमि प्राप्त होती, क्योंकि विवादित भूमि संयुक्त परिवार की भूमि थी।

10. सोनीबाई वा.सा.01 ने दावे के समर्थन में ग्राम सहेजना की विवादित भूमि का मिशाल बंदोबस्त वर्ष 1908-09 प्र.पी.01, विवादित भूमि का अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 प्र.पी.02, संशोधन पंजी वर्ष 2001 प्र.पी.03, संशोधन पंजी क्रमांक 2 वर्ष 1985 प्र.पी.04, संशोधन पंजी क्रमांक 11 दिनांक 26.10.1997 प्र.पी.05, विभाजन पत्रक दिनांक 17.12.1980 प्र.पी.06, बिक्रीनामा दिनांक 31.07.1975 प्र.पी.07 एवं वर्तमान खसरा प्र.पी.08 लगायत प्र.पी.20 प्रस्तुत किया है।

11. सोनीबाई वा.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके पिता कंगलू अपने बड़े भाई मंगलू के साथ रहता था। यह भी स्वीकार किया है कि उसकी माँ भी संयुक्त रूप से उन्हीं के साथ रहती थी। उसके विवाह का खर्च उसके पिता कंगलू एवं बड़े पिता मंगलू ने किया था। यह भी स्वीकार किया है कि मंगलू के जीवनकाल में उसके पिता कंगलू एवं उसकी माँ की मृत्यु हो गई, किन्तु इससे इंकार किया है कि संपूर्ण संस्कार मंगलू ने किया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि 25.94 एकड़ मंगलू को दिया गया था, किन्तु विभाजन में कंगलू को कोई भूमि नहीं दी गई। जबकि चमरू की संतान होने से कंगलू का भी भूमि पर अंश निहित था। प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य नहीं आया है कि वादी सोनीबाई के पिता कंगलू ने मंगलू के पक्ष में अपना हक त्याग दिया था।

12. वादी साक्षी झाड़ूलाल वा.सा.02 ने बताया है कि वह सोनीबाई और उसके पिता कंगलू को जानता है। कंगलू के दो भाई मंगलू एवं जंगलू थे। चमरू की भूमि 25.94 एकड़ थी, जिसमें चमरू की मृत्यु के पश्चात मंगलू, कंगलू एवं जंगलू संयुक्त रूप से कृषि करते थे और एक ही मकान में संयुक्त रूप से रहते थे। सोनीबाई शादी के बाद अपने ससुराल चली गई, किन्तु कंगलू के

हिस्से की भूमि का अनाज एवं फसल सोनीबाई को भेज दिया जाता था। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व सोहनलाल के पुत्र सुन्दर, इंदर, संजु एवं अंजु वादी सोनीबाई से वयमनस्यता रखने लगे और उनके बीच संबंध खराब हो गया, जब सोनीबाई ने अपने पिता के हिस्से की मांग की तो उन्होंने बंटवारा करने से मना कर दिया, जिसके पश्चात वादी ने राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त की, तब उसे पता चला कि प्रतिवादीगण ने विभाजन पत्र लिख लिया है तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 एवं उनके पक्ष में मंगलू ने भूमि विक्रय कर दिया है। जबकि भूमि पर उसके पिता का भी हिस्सा है। चमरू की मृत्यु के बाद कंगलू, मंगलू एवं जंगलू के विरासतन हक में जमीन प्राप्त हुई थी। कुल जमीन 25.94 एकड़ भूमि के 1/3 भाग पर वादी सोनीबाई का हिस्सा है।

13. वादी साक्षी झाड़ूलाल वा.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि चमरू के नाम लगभग 25.00 एकड़ जमीन थी। चमरू की मृत्यु के बाद कंगलू, जंगलू एवं मंगलू संयुक्त रूप से निवास करते थे, किन्तु इससे इंकार किया है कि बंटवारे में मंगलू को 25.00 एकड़ जमीन प्राप्त हुई थी। इससे भी इंकार किया है कि कंगलू ने चार पंचों के समक्ष अपना हक त्याग किया था।

14. गुलाबचंद तिलासी वा.सा.03 ने बताया है कि वह सोनीबाई और उसके पिता कंगलू को जानता है। कंगलू के दो भाई मंगलू एवं जंगलू थे। चमरू की भूमि 25.94 एकड़ थी, जिसमें चमरू की मृत्यु के पश्चात मंगलू, कंगलू एवं जंगलू संयुक्त रूप से कृषि करते थे और एक ही मकान में संयुक्त रूप से रहते थे। सोनीबाई शादी के बाद अपने ससुराल चली गई, किन्तु कंगलू के हिस्से की भूमि का अनाज एवं फसल सोनीबाई को भेज दिया जाता था। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व सोहनलाल के पुत्र सुन्दर, इंदर, संजु एवं अंजु वादी सोनीबाई से वयमनस्यता रखने लगे और उनके बीच संबंध खराब हो गया, जब सोनीबाई ने अपने पिता के हिस्से की मांग की तो उन्होंने बंटवारा करने से मना कर दिया, जिसके पश्चात वादी ने राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त की, तब उसे पता चला कि प्रतिवादीगण ने विभाजन पत्र लिख लिया है तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 एवं उनके पक्ष में मंगलू ने भूमि विक्रय कर दिया है। जबकि भूमि पर

उसके पिता का भी हिस्सा है। चमरू की मृत्यु के बाद कंगलू, मंगलू एवं जंगलू के विरासतन हक में जमीन प्राप्त हुई थी। कुल जमीन 25.94 एकड़ भूमि के 1/3 भाग पर वादी सोनीबाई का हिस्सा है। गुलाबचंद तिलासी वा.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने अपने मुख्यपरीक्षण का शपथ पत्र भी पढ़कर नहीं देखा था। वह चमरू, कंगलू एवं जंगलू को नहीं जानता है। उसे कंगलू, मंगलू एवं जंगलू की जमीन की जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी ने वादी सोनीबाई के कथन का ही समर्थन नहीं किया है।

15. सुन्दरलाल प्र.सा.01 ने बताया है कि चमरू के नाम खसरा नंबर 07 रकबा 12.00/4.856 हेक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 13.46/5.447 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/6 रकबा 0.20/0.081 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/7 रकबा 0.28/0.113 हेक्टेयर कुल रकबा 25.94/10.497 हेक्टेयर भूमि तथा खसरा नंबर 34, 17/44 रकबा 19.00 एवं 0.70 एकड़ कुल 19.70 एकड़ भूमि है। चमरू की मृत्यु के बाद मंगलू, कंगलू एवं जंगलू संयुक्त रूप से निवास करते थे और तीनों ने आपस में पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया था, जिसमें भूमि खसरा नंबर 07 रकबा 12.00/4.856 हेक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 13.46/5.447 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/6 रकबा 0.20/0.081 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/7 रकबा 0.28/0.113 हेक्टेयर कुल रकबा 25.94/10.497 हेक्टेयर भूमि मंगलू को प्राप्त हुई। खसरा नंबर 34, 17/44 रकबा 19.00 एवं 0.70 एकड़ कुल 19.70 एकड़ भूमि जंगलू को प्राप्त हुई थी। कंगलू की एक ही पुत्री सोनीबाई थी और पुत्रियों को उस समय पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं होता था, इसलिये कंगलू ने मंगलू के साथ अपनी पत्नि सहित निवास करने और पुत्री सोनीबाई के विवाह करने की बात तय किया था। कंगलू ने हिस्सा लेने से मना कर अपने हक का परित्याग कर दिया था। मंगलू के साथ कंगलू के रहने के दौरान कंगलू एवं उसकी पत्नि की मृत्यु हुई, जिसका संस्कार एवं क्रियाकर्म भी मंगलू ने किया था। मंगलू एवं जंगलू अपने-अपने हिस्से की खेती करते थे। सोनीबाई ने कभी भी अपने हक, हिस्से की मांग नहीं की थी। लोगों के बहकावे में वादी ने झूठा आवेदन प्रस्तुत किया है।

16. सुन्दरलाल प्र.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 7 रकबा 12.00 एवं 8 रकबा 13.46 एकड़ भूमि चमरू के नाम पर दर्ज थी। चमरू उसके परआजा थे। यह भी स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 7 एवं 8 की भूमि उनकी खानदानी भूमि थी। वर्ष 1954-55 में उक्त खानदानी भूमि मंगलू के नाम पर दर्ज हुई थी। मंगलू, जंगलू एवं कंगलू तीनों भाई थे। मंगलू सबसे बड़ा था। बंटवारे के संबंध में उसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी सुन्दरलाल ने विवादित भूमि को खानदानी भूमि होना स्वीकार किया है, जिसमें मूल पुरुष चमरू की मृत्यु के बाद शेष वारिस जंगलू एवं कंगलू का नाम नामांतरण न होकर मात्र एक वारिस बड़े पुत्र मंगलू के नाम दर्ज हो गया। प्रतिवादी सुन्दरलाल ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने कंगलू द्वारा हक त्याग के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया है। इस प्रकार कंगलू के द्वारा हक त्याग नहीं किया गया था तो कंगलू का भी विवादित भूमि पर जंगलू एवं मंगलू के समान हिस्सा था, जिसमें वादी अपने पिता कंगलू का हिस्सा प्राप्त करती।

17. तेजराम प्र.सा.02 ने बताया है कि चमरू के नाम खसरा नंबर 07 रकबा 12.00/4.856 हेक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 13.46/5.447 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/6 रकबा 0.20/0.081 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/7 रकबा 0.28/0.113 हेक्टेयर कुल रकबा 25.94/10.497 हेक्टेयर भूमि तथा खसरा नंबर 34, 17/44 रकबा 19.00 एवं 0.70 एकड़ कुल 19.70 एकड़ भूमि है। चमरू की मृत्यु के बाद मंगलू, कंगलू एवं जंगलू संयुक्त रूप से निवास करते थे और तीनों आपस में पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया था, जिसमें भूमि खसरा नंबर 07 रकबा 12.00/4.856 हेक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 13.46/5.447 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/6 रकबा 0.20/0.081 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/7 रकबा 0.28/0.113 हेक्टेयर कुल रकबा 25.94/10.497 हेक्टेयर भूमि मंगलू को प्राप्त हुई। खसरा नंबर 34, 17/44 रकबा 19.00 एवं 0.70 एकड़ कुल 19.70 एकड़ भूमि जंगलू को प्राप्त हुई थी। कंगलू की एक ही पुत्री सोनीबाई थी और पुत्रियों को उस समय पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं होता था, इसलिये कंगलू ने मंगलू के साथ अपनी

पत्नि सहित निवास करने और पुत्री सोनीबाई के विवाह करने की बात तय किया था। कंगलू ने हिस्सा लेने से मना कर अपने हक का परित्याग कर दिया था। मंगलू के साथ कंगलू के रहने के दौरान कंगलू एवं उसकी पत्नि की मृत्यु हुई, जिसका संस्कार एवं क्रियाकर्म भी मंगलू ने किया था। मंगलू एवं जंगलू अपने-अपने हिस्से की खेती करते थे। सोनीबाई ने कभी भी अपने हक, हिस्से की मांग नहीं की थी। लोगों के बहकावे में वादी ने झूठा आवेदन प्रस्तुत किया है।

18. तेजराम प्र.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि चमरू के नाम ग्राम सहेजना में खसरा नंबर 7 रकबा 12.00 एकड़ एवं खसरा नंबर 8 रकबा 13.46 एकड़, खसरा नंबर 17/6 रकबा 20 डिसमिल, खसरा नंबर 17/7 रकबा 28 डिसमिल स्थित है। चमरू की मृत्यु के बाद उक्त भूमि को मंगलू, जंगलू एवं कंगलू ही कमाते थे। तीनों भाई के बीच कभी बंटवारा नहीं हुआ। तीनों भाई अपने जीवनकाल तक भूमि पर खेती करते रहे। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी साक्षी तेजराम के कथन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 7, 8, 17/6, 17/7 की भूमि में मंगलू ने अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लिया। खानदान के अन्य व्यक्ति का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया। उक्त खानदानी संपत्ति पर मंगलू, जंगलू एवं कंगलू का समान हिस्सा था तथा उनके फौत होने के पश्चात कंगलू, मंगलू एवं जंगलू के पुत्र-पुत्रियों का समान हिस्सा था। इस प्रकार प्रतिवादी के साक्षी के कथन से भी स्पष्ट है कि मंगलू ने कंगलू को विवादित भूमि का कोई हिस्सा नहीं दिया था।

19. सुखदेव प्र.सा.03 ने बताया है कि चमरू के नाम खसरा नंबर 07 रकबा 12.00/4.856 हेक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 13.46/5.447 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/6 रकबा 0.20/0.081 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/7 रकबा 0.28/0.113 हेक्टेयर कुल रकबा 25.94/10.497 हेक्टेयर भूमि तथा खसरा नंबर 34, 17/44 रकबा 19.00 एवं 0.70 एकड़ कुल 19.70 एकड़ भूमि है। चमरू की मृत्यु के बाद मंगलू, कंगलू एवं जंगलू संयुक्त रूप से निवास करते थे और तीनों

आपस में पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया था, जिसमें भूमि खसरा नंबर 07 रकबा 12.00/4.856 हेक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 13.46/5.447 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/6 रकबा 0.20/0.081 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/7 रकबा 0.28/0.113 हेक्टेयर कुल रकबा 25.94/10.497 हेक्टेयर भूमि मंगलू को प्राप्त हुई। खसरा नंबर 34, 17/44 रकबा 19.00 एवं 0.70 एकड़ कुल 19.70 एकड़ भूमि जंगलू को प्राप्त हुई थी। कंगलू की एक ही पुत्री सोनीबाई थी और पुत्रियों को उस समय पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं होता था, इसलिये कंगलू ने मंगलू के साथ अपनी पत्नि सहित निवास करने और पुत्री सोनीबाई के विवाह करने की बात तय किया था। कंगलू ने हिस्सा लेने से मना कर अपने हक का परित्याग कर दिया था। मंगलू के साथ कंगलू के रहने के दौरान कंगलू एवं उसकी पत्नि की मृत्यु हुई, जिसका संस्कार एवं क्रियाकर्म भी मंगलू ने किया था। मंगलू एवं जंगलू अपने-अपने हिस्से की खेती करते थे। सोनीबाई ने कभी भी अपने हक, हिस्से की मांग नहीं की थी। लोगों के बहकावे में वादी ने झूठा आवेदन प्रस्तुत किया है।

20. सुखदेव प्र.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया था कि विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि है। पड़ौसी होने के नाते खानदानी भूमि के बारे में बताया था। चमरू के नाम ग्राम सहेजना में खसरा नंबर 34, 7, 8 एवं 17/2 की भूमि है। इस साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि खानदानी भूमि में सभी उत्तराधिकारियों को बराबर का हिस्सा मिलता है। बंटवारे में वादी को खानदानी भूमि में से हिस्सा नहीं मिला था। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी यह स्पष्ट है कि बंटवारे में चमरू की भूमि में से कंगलू एवं उसकी पुत्री सोनीबाई को कोई भूमि प्राप्त नहीं हुई।

21. वादी सोनीबाई द्वारा प्रस्तुत मिशल बंदोबस्त वर्ष 1908-09 प्र.पी.01 में विवादित भूमि चमरू के नाम दर्ज थी, जिसके पश्चात अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 प्र.पी.02 में विवादित भूमि मात्र मंगलू के नाम पर दर्ज हो गई। जबकि चमरू की तीन संतान जंगलू, मंगलू एवं कंगलू थे। चमरू की भूमि में उसकी

तीनों संतान जंगलू, मंगलू एवं कंगलू का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज होना था, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि चमरू की भूमि में एक मात्र मंगलू का नाम किस आदेश के तहत दर्ज किया गया था। अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 प्र.पी.02 में एक मात्र मंगलू का नाम कैसे दर्ज हुआ, इसके संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई राजस्व अभिलेख या आदेश भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। मंगलू का नाम दर्ज किये जाते समय जंगलू एवं कंगलू को उसकी सूचना दी गई है ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं है। न्यायदृष्टांत स्वर्णी विरुद्ध इंदर कौर 1996(6)एस.एस.सी.223 में यह अवधारित किया गया है कि नामांतरण से कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं होता और ना ही अर्जित स्वत्व समाप्त होता है। नामांतरण से किसी स्वत्व की उपधारणा नहीं की जा सकती है। यह केवल भू-राजस्व संहिता के अधीन भू-राजस्व की अदायगी के प्रयोजन से होता है। ऐसे में सिर्फ मंगलू के नाम भूमि नामांतरण हो जाने से वादी के पिता कंगलू का स्वत्व समाप्त नहीं हो जाता। उभयपक्ष के हिसाब से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि खानदानी भूमि थी, जिसमें कंगलू का भी हिस्सा था।

22. न्यायदृष्टांत अवध विरुद्ध भूरी 1985 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 340 एवं लखेश्वर विरुद्ध पदमावती ए.आई.आर.1969 उडीसा 10 में यह अवधारित किया गया है कि स्थावर संपत्ति का त्यजन केवल रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किया जा सकता है। यदि कोई पक्षकार संपत्ति में हक त्याग करता है, तब इसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधान के निबंधनों के अधीन रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा ही किया जाना चाहिए। सुन्दरलाल प्र.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकार किया है कि खानदानी संपत्ति में किसी व्यक्ति द्वारा जब-तक पंजीकृत तौर पर हक त्याग नहीं करता, तब-तक खानदानी संपत्ति में उसका हक, हिस्सा रहता है। यह भी स्वीकार किया है कि कंगलू द्वारा अपनी खानदानी संपत्ति में से हक, हिस्सा न लेने के संबंध में निष्पादित हक त्याग का दस्तावेज उसे देखने को नहीं मिला है। यह भी स्वीकार किया है कि चमरू की मृत्यु के पश्चात खानदानी जमीन के राजस्व रिकार्ड में केवल उसके दादा मंगलू का ही

नाम आया, कंगलू एवं जंगलू का नाम बतौर वारसान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ। मिशाल बंदोबस्त वर्ष 1908-09 में खसरा नंबर 7 रकबा 12.00 एवं खसरा नंबर 8 रकबा 13.46 एकड़ भूमि सिकमी किसान के रूप में चमरू के नाम दर्ज था। अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 में उक्त संपूर्ण भूमि अथवा विवादित भूमि मात्र मंगलू के नाम पर दर्ज हो गया, किन्तु चमरू के शेष वारसान कंगलू एवं जंगलू का नाम दर्ज नहीं हुआ। वादी के पिता कंगलू ने अपना हक त्याग दिया हो ऐसा कोई हक त्याग का दस्तावेज भी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि चमरू की भूमि पर वादी के पिता कंगलू का 1/3 अंश का हिस्सा था और कंगलू का 1/3 अंश का हिस्सा वादी को प्राप्त करने का अधिकार है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 एवं 07

23. सोनीबाई वा.सा.01 ने बताया है कि जब उसने संशोधन पंजी दिनांक 05.12.1985 संशोधन क्रमांक-6 का अवलोकन किया, तब उसे जानकारी हुई कि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 तथा प्रतिवादी क्रमांक 6 व 8 के पिता स्व० सोहनलाल एवं राधेलाल पिता लालचंद के बीच पंजीकृत विभाजन पत्रक दिनांक 17.12.1980 लिखा गया है। दस्तावेज के अनुसार खसरा नंबर 8 एवं 17/6 में से 1.75 एकड़ भूमि राधेलाल के नाम पर हस्तांतरित कर दी गई है तथा द्वितीय पक्ष प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 के पक्ष में शेष 9.825 हेक्टेयर यथावत रखी गई है। जबकि उसके पिता या उसका नाम राजस्व अभिलेख में बिल्कुल नहीं है। छलपूर्वक बंटवारा पत्रक तैयार किया गया है। उसके पिता तथा उसे हक से वंचित कर दिया गया है। विभाजन पत्रक दिनांक 17.12.1980 उस पर बाध्यकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि लालचंद सोहनलाल से जमीन मांग रहा था, उस समय लालचंद ने पूर्व में हिस्सा मिलना बताया था, किन्तु लालचंद सोहनलाल से जिद्द किया, तब 1.67 एकड़ जमीन लालचंद को दिये थे, जिसे लालचंद ने अपने पुत्र राधेलाल एवं पत्नि सोमवती के नाम से रखा था।

24. झाडूलाल वा.सा.02 ने बताया है कि जब प्रतिवादीगण ने वादी को उसका हिस्सा देने से इंकार कर दिया, तब वादी ने संशोधन पंजी क्रमांक 06 दिनांक 05.12.1980 निकालकर उसका अवलोकन किया, तब उसे जानकारी हुई

कि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 तथा प्रतिवादी क्रमांक 6 व 8 के पिता स्व0 सोहनलाल एवं राधेलाल पिता लालचंद के बीच पंजीकृत विभाजन पत्रक दिनांक 17.12.1980 लिखा गया है। दस्तावेज के अनुसार खसरा नंबर 8 एवं 17/6 में से 1.75 एकड़ भूमि राधेलाल के नाम पर हस्तांतरित कर दी गई है तथा द्वितीय पक्ष प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 के पक्ष में शेष 9.825 हेक्टेयर यथावत रखी गई है एवं दिनांक 31.07.1975 को प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 एवं उनके पिता सोहनलाल के पक्ष में मंगलू ने संपूर्ण भूमि 25.94 एकड़ अंतरित कर दिया है, जिसकी वादी अपने पिता का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि मंगलू ने पैसों की आवश्यकता के कारण अपनी भूमि अपने पुत्र सोहनलाल एवं पोते सुन्दर, इंदर, अंजु एवं संजु को विक्रय कर दिया था। यह स्वीकार किया है कि लालचंद और उसकी पत्नि फिर से भूमि की मांग करने लगे, तब सोहनलाल एवं उसके पुत्रों ने 1.67 एकड़ भूमि लालचंद के पुत्र राधेलाल तथा उसकी पत्नि सोमवती को विभाजन कर दिये थे, किन्तु बाद में भी वादी को कोई भूमि नहीं दी गई।

25. गुलाबचंद वा.सा.03 ने बताया है कि जब प्रतिवादीगण ने वादी को उसका हिस्सा देने से इंकार कर दिया, तब वादी ने संशोधन पंजी क्रमांक 06 दिनांक 05.12.1980 निकालकर उसका अवलोकन किया, तब उसे जानकारी हुई कि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 तथा प्रतिवादी क्रमांक 6 व 8 के पिता स्व0 सोहनलाल एवं राधेलाल पिता लालचंद के बीच पंजीकृत विभाजन पत्रक दिनांक 17.12.1980 लिखा गया है। दस्तावेज के अनुसार खसरा नंबर 8 एवं 17/6 में से 1.75 एकड़ भूमि राधेलाल के नाम पर हस्तांतरित कर दी गई है तथा द्वितीय पक्ष प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 के पक्ष में शेष 9.825 हेक्टेयर यथावत रखी गई है एवं दिनांक 31.07.1975 को प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 एवं उनके पिता सोहनलाल के पक्ष में मंगलू ने संपूर्ण भूमि 25.94 एकड़ अंतरित कर दिया है, जिसकी वादी अपने पिता का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कंगलू, जंगलू एवं मंगलू को जानने से इंकार कर दिया है।

26. एम.एस. मसराम वा.सा.04 ने बताया है कि वह उपपंजीयक

कार्यालय बैहर में उपपंजीयक के पद पर पदस्थ है। वह अपने साथ अतिरिक्त पुस्तक क्रमांक 461 एवं 206 लेकर आया है। पुस्तक क्रमांक 461 में दस्तावेज क्रमांक 2162 के पृष्ठ क्रमांक 70 से 72 तक विभाजन पत्र प्रथम पक्षकार राधेलाल वल्द लालचंद नाबालिग वली माँ सोमवती, सोमवती जौजे लालचंद प्रथम पक्ष के रूप में एवं दूसरे पक्ष के रूप में सोहनलाल, सुन्दर, इंदर, संजु, अंजु नाबालिग वली पिता सोहनलाल का नाम दर्ज है, जो दिनांक 17.12.1980 को पंजीकृत किया गया था। उसके द्वारा लाये गये अतिरिक्त पुस्तक क्रमांक 206 में दस्तावेज क्रमांक 1430 के पृष्ठ क्रमांक 18 से 19 में विक्रेता मंगलू तथा क्रेता सोहनलाल पिता मंगलू ग्राम सहेजना तहसील बैहर का नाम दर्ज है, जो दिनांक 31.07.1975 को पंजीकृत किया गया है।

27. सुन्दरलाल प्र.सा.01 ने बताया है कि मंगलू ने अपने हिस्से की भूमि 25.94 एकड़ को तीर्थयात्रा पर जाने के लिए पैसे की कमी होने पर दिनांक 31.07.1975 को 2,000/- रुपये में अपने पुत्र सोहनलाल तथा उसे एवं इंदरलाल, अंजु, संजु को विक्रय कर दिया था तथा पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया था। मंगलू द्वारा भूमि विक्रय करने के तीन-चार वर्ष बाद लालचंद और उसकी पत्नि सोमवती आये दिन उससे व उनके भाईयों से विवाद करने लगे कि उसके पिता के हिस्से में जमीन बाकि है, तब सोहनलाल ने अपने तथा उनके नाम की भूमि में से 1.67 एकड़ भूमि लालचंद के पुत्र राधेलाल तथा पत्नि सोमवती को विभाजन कर दिया था, जो राधेलाल एवं सोमवती के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है। सोमवती की मृत्यु होने से वर्तमान में केवल राधेलाल का नाम दर्ज है। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि बंटवारा में सभी हिस्सेदारों को समान हिस्सा प्राप्त होता है। दिनांक 17.12.1980 को निष्पादित विभाजन में राधेलाल, उसकी माँ सोमवती तथा उसके पिता सोहनलाल व उसके व अन्य भाईयों के मध्य विभाजन हुआ था, उस समय सोनीबाई को विभाजन में पक्षकार नहीं बनाये थे, जबकि वह उनके खानदान की व्यक्ति है। इस प्रकार दिनांक 17.12.1980 को हुए विभाजन में भी वादी सोनीबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही उसे कोई अंश दिया गया।

28. सुन्दरलाल प्र.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मूल पुरुष चमरू की मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में केवल उसके दादा मंगलू का नाम आया था। जंगलू एवं कंगलू का नाम बतौर वारसान राजस्व रिकार्ड में नहीं आया था। कंगलू के हक त्याग के संबंध में उसने कोई दस्तावेज भी नहीं देखा है। यह भी स्वीकार किया है कि खानदानी संपत्ति में से किसी वारसान द्वारा अपना हक, हिस्सा अलग किये बगैर संपत्ति का विक्रय नहीं किया जा सकता। यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके पिता सोहनलाल तथा उसके भाई इंदरलाल, संजू, अंजु और वह स्वयं दादा मंगलू की खानदानी संपत्ति का विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिये थे। इस प्रकार चमरू की भूमि सिर्फ मंगलू के नाम अंतरित हुआ। कंगलू एवं जंगलू को कोई अंश प्राप्त नहीं हुआ। जबकि जंगलू एवं कंगलू का विवादित भूमि में बराबर का अंश था तथा मंगलू ने संपूर्ण भूमि को अपने पुत्र सोहनलाल एवं उनके पुत्रों को अपने अंश से अधिक संपूर्ण भूमि का विक्रय कर दिया, जबकि मंगलू को विवादित भूमि के 1/3 अंश भूमि के विक्रय करने का ही अधिकार था।

29. तेजराम प्र.सा.02 ने बताया है कि मंगलू ने अपने हिस्से की भूमि 25.94 एकड़ को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पैसे की कमी होने पर दिनांक 31.07.1975 को 2,000/- रुपये में अपने पुत्र सोहनलाल तथा उसे एवं इंदरलाल, अंजु, संजु को विक्रय कर दिया था तथा पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया था। मंगलू द्वारा भूमि विक्रय करने के तीन-चार वर्ष बाद लालचंद और उसकी पत्नि सोमवती आये दिन सुन्दरलाल व उनके भाईयों से विवाद करने लगे कि उसके पिता के हिस्से में जमीन बाकि है, तब सोहनलाल ने अपने तथा उनके नाम की भूमि में से 1.67 एकड़ भूमि लालचंद के पुत्र राधेलाल तथा पत्नि सोमवती को विभाजन कर दिया था, जो राधेलाल एवं सोमवती के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है। सोमवती की मृत्यु होने से वर्तमान में केवल राधेलाल का नाम दर्ज है। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि विभाजन पत्र के निष्पादन के समय जंगलू के पुत्र लालचंद एवं कंगलू की पुत्री सोनीबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया

है कि खानदानी भूमि का समान बंटवारा नहीं हुआ है, क्योंकि मंगलू, जंगलू एवं कंगलू का समान हिस्सा था। यह भी स्वीकार किया है कि मंगलू ने दिनांक 31.07.1975 को खानदानी भूमि को अपने पुत्र के नाम पर विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया था। यह भी स्वीकार किया है कि खानदानी भूमि पर सभी वारिसों का समान हक होने से एक व्यक्ति को भूमि अंतरित करने का अधिकार नहीं था। मंगलू यदि खानदानी भूमि में सभी वारिसों को हक, हिस्सा दिये बिना विक्रय पत्र निष्पादन किया है तो वह गलत है। खानदानी भूमि में कंगलू के हिस्से की भूमि में कंगलू के वारिस होने के कारण सोनीबाई का भी हिस्सा है।

30. सुखदेव प्र.सा.03 ने बताया है कि मंगलू ने अपने हिस्से की भूमि 25.94 एकड़ को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पैसे की कमी होने पर दिनांक 31.07.1975 को 2,000/- रुपये में अपने पुत्र सोहनलाल तथा उसे एवं इंदरलाल, अंजू, संजु को विक्रय कर दिया था तथा पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया था। मंगलू द्वारा भूमि विक्रय करने के तीन-चार वर्ष बाद लालचंद और उसकी पत्नि सोमवती आये दिन सुन्दरलाल व उनके भाईयों से विवाद करने लगे कि उसके पिता के हिस्से में जमीन बाकि है, तब सोहनलाल ने अपने तथा उनके नाम की भूमि में से 1.67 एकड़ भूमि लालचंद के पुत्र राधेलाल तथा पत्नि सोमवती को विभाजन कर दिया था, जो राधेलाल एवं सोमवती के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है। सोमवती की मृत्यु होने से वर्तमान में केवल राधेलाल का नाम दर्ज है। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि खसरा नंबर 7, 8 में वादी को कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है। दस्तावेज प्र.पी.03 के अनुसार खसरा नंबर 7, 8, 17/6 एवं 17/7 की भूमि को संजुलाल, इंदरलाल, अंजुलाल एवं सुन्दरलाल ने बंटवारा कर लिया और सोनीबाई को कोई बंटवारा प्राप्त नहीं हुआ। यह भी स्वीकार किया है कि वादी को खानदानी भूमि में कोई बंटवारा नहीं मिला है।

31. इस प्रकार वादप्रश्न क्रमांक 01 के विचारण के दौरान यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि चमरू की भूमि पर कंगलू को कोई हिस्सा नहीं दिया गया और एक मात्र मंगलू का नाम विवादित भूमि में दर्ज हो गया। मंगलू विवादित भूमि

को प्राप्त करने के बाद अपने पुत्र एवं पोतों को विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1975 के माध्यम से विक्रय कर दिया तथा विवादित भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन पत्र दिनांक 17.12.1980 के माध्यम से विभाजन भी कर लिया गया है। जबकि उक्त विभाजन के दौरान ही कंगलू की पुत्री सोनीबाई को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिवचन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विवादित भूमि का विभाजन कंगलू, जंगलू एवं मंगलू के मध्य कब हुआ था और किसे कितनी भूमि प्राप्त हुई थी। कंगलू द्वारा अपने हिस्से की भूमि को मंगलू के पक्ष में हक त्याग किया हो ऐसा भी कोई हक त्याग विलेख प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है, जिससे यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि में वादी सोनीबाई के पिता कंगलू का अंश निहित था और ऐसे में मंगलू भूमि विक्रय करना चाहता था तो वह अपने अंश 1/3 की भूमि विक्रय कर सकता था, किन्तु उसने संपूर्ण भूमि अपने पुत्र एवं पोतों को विक्रय कर दिया। ऐसे में उक्त विक्रय पत्र मंगलू के 1/3 अंश तक ही वैध होगा एवं कंगलू के 1/3 अंश के संबंध में उक्त विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1975 पर वादी पर बाध्यकारी नहीं है तथा विवादित भूमि के बंटवारे के समय भी वादी सोनीबाई को कोई पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही सोनीबाई या उसके पिता कंगलू द्वारा अपना हक त्याग किया गया है। ऐसे में कंगलू के हिस्से की भूमि के संबंध में किया गया बंटवारा दिनांक 17.12.1980 भी वादी पर बाध्यकारी नहीं है।

वादप्रश्न क्रमांक-04

32. सोनीबाई वा.सा.01 ने बताया है कि भूमि का लाभ वर्ष 2016 से प्रतिवादीगण लेते आ रहे हैं, इसलिये वाद प्रस्तुति दिनांक से वह 1,50,000/- रुपये प्राप्त करने की अधिकारी है, जब-तक की प्रतिवादीगण उसे भूमि का कब्जा नहीं देते हैं। प्रतिपरीक्षण में बताई है कि वह मिन्स प्राफिट नहीं जानती है। यदि उसके शपथ पत्र में मिन्स प्राफिट लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकती। झाड़ूलाल वा.सा.02 ने बताया है कि वादी सोनीबाई मध्यवर्ती लाभ प्राप्त करने की हकदार है, क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 वर्ष 2016 से भूमि पर खेती कर रहे हैं। गुलाबचंद वा.सा.03 ने भी बताया है कि प्रतिवादी क्रमांक 01

से 04 वर्ष 2016 से भूमि में कृषि कर रहे हैं, इसलिये वादी मध्यवर्ती लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है।

33. सुन्दरलाल प्र.सा.01 ने बताया है कि सोनीबाई का विवाह 40-50 वर्ष पूर्व ग्राम भादा में हुआ है, तब से वह ग्राम सहेजना में आती-जाती रहती थी, किन्तु कभी भी अपने हिस्से की मांग नहीं की थी। भूमि पर उसके पिता और उसके पश्चात वे लोग खेती करते हैं।

34. व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 2(12) में अंतःकालीन लाभ की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं, जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, किन्तु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आयेंगे। प्रथमतः वादी को यह साबित करना था कि वादग्रस्त भूमि का सदोष कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा रखा गया था, किन्तु स्वयं वादी ने उक्त संबंध में कोई अभिवचन नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षण में भी वादी सोनीबाई ने यह स्वीकार किया है कि वह मिन्स प्राफिट नहीं जानती और कितने रुपयों पर मिन्स प्राफिट है, इसके संबंध में उसने कोई कथन नहीं किया है। वादी ने इस संबंध में भी कोई अभिवचन नहीं किया है कि उसके हिस्से में प्रतिवर्ष निश्चित कितनी आय होती थी। वादी को वाद प्रस्तुत करने तक कुल कितना मध्यवर्ती लाभ हुआ, इसकी गणना कर अभिवचन करना चाहिए था तथा उक्त मध्यवर्ती लाभ पर भी न्यायशुल्क अदा करना चाहिए था, किन्तु वादी के अभिवचन एवं साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं है कि प्रतिवादी ने भूमि पर सदोष कब्जा रखा था, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता कि वादी अंतः कालीन लाभ 1,50,800/- रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादप्रश्न कमांक 05

35. सोनीबाई वा.सा.01 ने बताया है कि उसे प्रतिवादीगण द्वारा किये गये छल-कपट की जानकारी पहली बार दिनांक 17.03.2016 को तब हुई, जब उसने संशोधन पंजी दिनांक 05.12.1985 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की थी। यदि

दस्तावेज प्राप्त नहीं करती तो उसे जानकारी भी प्राप्त नहीं होती। प्रतिवादी सुन्दरलाल ने वादी के दावा अवधि बाह्य होने के संबंध में अपने मुख्यपरीक्षण के शपथ पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है। वादी सोनीबाई ने दावा विवादित भूमि के घोषणा के लिए भी प्रस्तुत की है। परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 58 के अनुसार वाद कारण उत्पन्न होने के तीन वर्ष के भीतर घोषणा का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है तथा वादी ने राजस्व अभिलेख संशोधन पंजी दिनांक 05.12.1980 दिनांक 17.05.2016 को प्राप्त करने के पश्चात छल-कपट होने की जानकारी होने पर दावा प्रस्तुत होना बताया है। वादी द्वारा संशोधन पंजी प्र.पी. 03 एवं 04 प्रस्तुत किया है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि दिनांक 17.03.2016 को प्रदान की गई है। दिनांक 17.03.2016 के तीन वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत होना था। तीन वर्ष के भीतर दिनांक 23.08.2016 को दावा प्रस्तुत कर दिया गया है। फलतः वादी का दावा विधिक अवधि में है।

वाद प्रश्न क्रमांक-06 (सहायता एवं वाद व्यय)

36. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि वादी अपना दावा अंशतः प्रमाणित करने में सफल रही है, किन्तु मध्यवर्ती लाभ के संबंध में वादी का दावा प्रमाणित नहीं पाया गया है। फलतः वादी का दावा अंशतः स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

01. मौजा सहेजना प.ह.नं.11 तहसील बैहर जिला बालाघाट की भूमि खसरा नंबर 7 रकबा 4.856 हेक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 5.447 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/6 रकबा 0.081 हेक्टेयर, खसरा नंबर 17/7 रकबा 0.113 हेक्टेयर कुल रकबा 10.497 हेक्टेयर/25.94 एकड़ भूमि में वादी 1/3 अंश की स्वामी है।

02. वादी उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/3 अंश का विभाजन की कार्यवाही आदेश 20 नियम 18 सहपठित धारा 54 सी.पी.सी. के अनुसार कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त किसी अधीनस्थ द्वारा विभाजन कराया जाकर आधिपत्य प्राप्त करने की अधिकारी है।

03. विभाजन पत्र दिनांक 17.12.1980 एवं विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1975 के द्वारा वादी के अंश की भूमि के संबंध में निष्पादित

विभाजन एवं विक्रय पत्र वादी पर बाध्यकारी नहीं है।

04. अधिवक्ता शुल्क म0प्र0 सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के अनुसार अथवा जो प्रमाणित हो तथा जिसमें जो न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।
05. प्रतिवादीगण संपूर्ण वाद व्यय वहन करेंगे।
तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। “मेरे निर्देश पर टंकित”।

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)